न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 295 सन 2024
अनवान :–

1. राजगर पुत्र रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. गुडडी पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. गोरी पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. पातो पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. पाना पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. पार्वती पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. भागी पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. राधा पत्नी रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. सुरजगर पुत्र रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. सिलोचना पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमारग गोदारा अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 02/01/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 की 20.00 बीधा , साबिका खसरा न0 202 की 39.00 बीधा भूमि वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को दिनांक 19.007.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 की 20.00बीधा, 202 की 19.00बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 125, 202 के हाल खसरा न0 357/2 की 0.5310 ,505/3.2880 ,521/2.1880 कुल 6.0070हैक में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

रिधगर पुत्र चन्द्रगर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिसके वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में रिधगर पुत्र चन्द्रगर वल्द किशनाराम के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मोजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 ,202 हाल खसरा न0 357/2 की 0.5310हैक ,505/3.2880हैक ,521 की 2.18[illegible] कुल 6.0070 हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त [illegible] को आवंटन की गई भूमि है।

रोही मोजा देवासर के [illegible] 125 ,202 की भूमि [illegible]क 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीग के [illegible]ता रिधगर पुत्र चन्द्रग[illegible] कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी रिधगर पुत्र चन्द्रगर उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी रिधगर पुत्र चन्द्रगर के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 364/354 के खसरा न0 357/2 ,505, 521 की 6.0070हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 364/354 की 0.5310हैक भूमि जो वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 तरतीबी प्रतिवादीगण है जिनका अनुतोष वादी के अनुतोष में निहित है इसलिये तर्क किया गया तलबी की आवश्यकता नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 की 20.00 बीधा , साबिका खसरा न0 202 की 39.00 बीधा भूमि वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को दिनांक 19.007.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 की 20.00बीधा, 202 की 19.00बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 125, 202 के हाल खसरा न0 357/2 की 0.5310 ,505/3.2880 ,521/2.1880 कुल 6.0070हैक में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:12 IST
Reason: SelfAttested

रिधगर पुत्र चन्द्रगर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिसके वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में रिधगर पुत्र चन्द्रगर वल्द किशनाराम के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मोजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 ,202 हाल खसरा न0 357/2 की 0.5310हैक ,505/3.2880हैक ,521 की 2.1880 की कुल 6.0070 हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि है।

रोही मोजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 ,202 की भूमि दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीग के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी रिधगर पुत्र चन्द्रगर उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी रिधगर पुत्र चन्द्रगर के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 364/354 के खसरा न0 357/2 ,505, 521 की 6.0070हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा देवसर के साबिका खसरा न0 125 ,202 की कुल 39 बीधा भूमि रिधगर पुत्र चन्द्रगर जाति गुसाई निवासी देवासर को दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि रिधगर पुत्र चन्द्रगर जाति गुसाई का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी सांख्या 2 ता 10 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिधगर पुत्र चन्द्रगर के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है।

अर्थात वाद भूमि रिधगर पुत्र चन्द्रगर को दिनांक 18.07.1968 को वाद भूमि आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी रिधगर पुत्र चन्द्रगर के देहान्त होने पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में [illegible] जा देवासर के साबिका खसरा न0 125 ,202 जो बहुत बडा खसरा था के हाल [illegible] के साथ हाल खसरा न0 357/2. की 0.5310हैक 505 की 3.2880है [illegible] में परिवर्तन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिवतन [illegible]मुद किये जा चुके है जो प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को रोही मौजा देवासर के हाल खसरा न0 357/2 की 0.5310हैक भूमि आवंटन नही की गई थी यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आवंटन का भाग ना होकर भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज किया गया है अर्थात उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार वादी पाने के अधिकारी नही है

वादीगण के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को रोही मौजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 521 ,5051 में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 521 ,505 की भूमि वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को दिनांक 18.07.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीग के पिता रिधगर के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज रिधगर पुत्र चन्द्रगर को आवंटन दिनांक 18.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 18.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता मोहनराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर जाति गुसाई (जो अन्य पिछडा वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा देवासर के साबिका खसरा न0 125 हाल खसरा न0 505 की 3.2880हैक्‍ व 521 की 2.1880हैक्‍ भूमि आवंटन दिनांक 18.07.1968 का ही हिस्सा है जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 4 से पूर्णत्या साबित है आवंटि रिधगर पुत्र चन्द्रगर के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता रिधगर पुत्र चन्द्रगर को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 364/354 के खसरा 505 की 3.2880हैक्‍ व खसरा न0 521 की 2.1880हैक्‍ कुल 5.476हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को बहिब का खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:30:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. राजगर पुत्र रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. गुडडी पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. गोरी पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. पातो पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. पाना पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. पार्वती पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. भागी पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. राधा पत्नी रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. सुरजगर पुत्र रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. सिलोचना पुत्री रिधगर जाति गोसाई (गुसाई) निवासी देवासर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 295 सन 2024 निर्णय दिनांक – 02/01/2025

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 364/354 के खसरा 505 की 3.2880हैक्ट व खसरा न0 521 की 2.1880हैक्ट कुल 5.476हैक्ट भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को बहिब का खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है शेष भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:50:12 IST
Reason: SelfAttested